छात्रवृत्ति योजनाएं

महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों के हितों के लिए म.प्र. शासन की विभिन्न्‍न योजनाएँ

1. गांव की बेटी योजना

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक गांव से प्रति वर्ष 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को हर वर्ष 500 रुपए प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

2. प्रतिभा किरण योजना

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी परिवार की बालिका (बी.पी.एल. कार्डधारी) कक्षा 12 में 60% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर मध्यप्रदेश शासन की प्रतिभा किरण योजना हेतु पात्र होगी।

3. **पोस्ट** मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति

सभी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है वे विद्यार्थी 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

4. **पोस्ट** मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जनजाति)

सभी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक है वे विद्यार्थी 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे ।

5. **पोस्ट** मैट्रिक छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग)

सभी विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है वे विद्यार्थी 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे ।

6. मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियो के माता/पिता का म0प्र0 शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश प्राप्त करने पर शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

7. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों अथवा सीबीएसई / आईसीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों एवं मध्यप्रदेश के निवासी होने के साथ-साथ उनके पिता/पालक की वार्षिक आय रूपयें 6 लाख से कम हो, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य् शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

8. आवास सहायता योजना (अनुसूचित जाति)

विद्यार्थी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता हो एवं किराये पर रहकर संस्था में अध्ययन कर रहा/रही हो ! विद्यार्थी को आर्थिक सहायता के रूप में 1250 /- प्रतिमाह के दर से नियमानुसार आवास भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है।

9. आवास सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति)

विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता हो एवं किराये पर रहकर संस्था में अध्ययन कर रहा/रही हो ! विद्यार्थी को आर्थिक सहायता के रूप में 1250 /- प्रतिमाह के दर से नियमानुसार आवास भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है।